2024/51

22/12/24 पत्रावली आज राष्ट्री[illegible] ी गई।
पक्षकारान उपस्थित/ [illegible]
संभव नहीं हो पाया। [illegible] ंपत
तारीख पेशी दिनांक....26/12/24.......को
पेश हो।

अध्यक्ष [signature] सदस्य [signature]

राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच नं.........4.........

26/12/24 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषकगण कान्फ्रेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक....13/01/25......को पेश हो। [signature]

13/01/25 वकु॰ उप॰। TDR, रायथल की रिपोर्ट जरिये पत्रांक भू-अ./2024/4048 दि॰ 27/11/2024 शा॰ मि॰ पत्रावली हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश दि॰ 17/01/25 को पेश हो। [signature]

17/01/25 वकु॰ उप॰। निर्णय [illegible] पृथक से लिखा जाकर [illegible] शा॰ मि॰ हो। पत्रावली [illegible] शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
116 / प्रा0प0 / 2024	25.07.2024	हरविन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

हीरा आ0 श्री रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम छरकवाड़ा तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार रायथल जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 127 राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री रामदत्त शर्मा।।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 1121 रकवा 2.5400 हैक्टेयर खसरा सख्या 1122 रकवा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा सख्या 1128 रकवा 0.8500 हैक्टेयर वाके ग्राम छरकवाड़ा तहसील रायथल जिला बून्दी राज०में स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हैं तथा प्रार्थी उक्त भूमि में काश्तकारी के रूप में काश्त करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि का रकवा वास्तविक क्षेत्रफल मौके पर खाते में अंकित भूमि अनुरूप नही होने तथा मौके पर खाते की भूमि से कम होने से प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि का पूरा—पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इससे प्रार्थी के वैधानिक हकों पर कुठाराघात हो रहा है एवं प्रार्थी एवं पड़ौसी काश्तकारों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी में दर्ज उपरोक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु सम्बन्धित तहसील रायथल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 03.06.2024 को प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया तथा मौके पर सीमा चिन्ह निर्धारित किये जाकर प्रार्थी को वताये गये। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान उपरान्त पथरगढी करने बावत तहसीलदार से अनुरोध किया गया परन्तु तहसीलदार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संतोष जनक जवाब प्रार्थी को नहीं दिया गया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के लिए कहां गया। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि का नियमानुसार सीमांकन उपरान्त पत्थरगढी करवाना चाहता हैं ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि का पूरा—पूरा लाभ उठा सके ए[illegible] से किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो तथा प्रार्थी वैधानिक [illegible]ने से अपने खातेदारी की भूमि का पूरा—पूरा लाभ उठा सके। प्रा[illegible] अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया [illegible] प्रार्थी के [illegible]र एवं कब्जे की भूमि खसरा सख्या 1121 रकवा 2.5400 हैक्टेयर, [illegible] 1122 रकवा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा सख्या 1128 रकवा 0.8500 हैक्टेयर [illegible] तहसील रायथल जिला बून्दी राज० का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी करने के बावत आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:02 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया एवं तहसीलदार, रायथल से प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, रायथल द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2024 / 4048 दिनांक 27.11.2024 से अवगत कराया है कि भूमि खसरा संख्या 1121 रकबा 2.54 है0, खसरा नंबर 1122 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर